क्यू मेल/अतिआवश्क/तत्काल

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

1, तिलक मार्ग, लखनऊ।

संख्या–परिपत्र डीजी– 43 दिनांकः अगस्त 01, 2018

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।

जैसा कि आप अवगत होंगे कि व्यापारी वर्ग का देश एवं प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था एवं विकास में अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान है, इसके अतिरिक्त यह समाज के महत्वपूर्ण अंग हैं। मुझे व्यापारिक संगठनों द्वारा समय–समय पर अवगत कराया गया है कि थाने पर शिकायत लेकर जाने पर अक्सर उनको लम्बे समय तक इंतजार करना पड़ता है एवं अपेक्षित सम्मान नहीं दिया जाता है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि थाने पर व्यापारियों द्वारा समस्याओं को लेकर जाने पर उसका प्राथमिकता पर सम्मानपूर्वक निस्तारण किया जाये।

जनपद प्रतापगढ़ में दो व्यापारियों से रंगदारी मांगे जाने पर इसके संबंध में दिनांक 13–05–2018 को मु0अ0सं0 65/18 धारा 384/507 भादवि बनाम अज्ञात व्यक्ति मोबाइल नं0 54837093 पंजीकृत किया गया। एक विशेष मोबाइल नम्बर से प्राथमिकी दर्ज होने के बाद भी लगातार रंगदारी मांगी गयी और दोनों व्यापारी बन्धुओं की दिनांक 25–07–2018 को हत्या हो गयी। यह स्पष्ट है कि इन दो महीनों में व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी (अपर पुलिस अधीक्षक) द्वारा इस प्रकरण में कोई रूचि नहीं ली गयी। इस प्रकार कई अन्य जनपदों में व्यापारियों के साथ रंगदारी मांगे जाने या अपराधिक घटना घटित होने पर व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी (अपर पुलिस अधीक्षक) को सम्भवतः इन घटनाओं का संज्ञान नहीं होता होगा।

मेरे द्वारा पूर्व में भेजे गये पत्र संख्या–डीजी–आठ–140(28)2015–2017 दिनांक 09–02–2018 में स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी (अपर पुलिस अधीक्षक) पूरे जनपद में व्यापारियों के साथ घटित घटनाओं के संबंध में माह में एक दिन आप सम्बन्धित थानाध्यक्ष के साथ समीक्षा करेंगे एवं समय–समय पर व्यापारियों के साथ नियमित बैठक भी करेंगे। प्रत्येक थाने में व्यापारियों के साथ हो रहे अपराध की सूचना नोडल अधिकारी को सम्बन्धित थानाध्यक्ष एफआईआर की छायाप्रति सहित पूर्ण विवरण के साथ प्रेषित करेंगे और नोडल अधिकारी घटनाओं पर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

1/8/18

(ओ0पी0 सिंह)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

Scanned by CamScanner